GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF EDUCATION

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

RAJYA SABHA

STARRED OUESTION NO. 169

ANSWERED ON 07/08/2024

Facilities provided by Private Schools and Colleges

*169 Shri Vikramjit Singh Sahney:

Will the Minister of *Education* be pleased to state:

- (a) whether Government is aware that the fees of some private educational institutions especially in cities, right from Nursery to Post Graduation is very expensive;
- (b) whether Government is planning to bring some fee regulation law on the private schools and colleges and rationalize it for institutions and citizens both;
- (c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
- (d) whether the Ministry has conducted any study to assess the education and other facilities provided by the schools and colleges, and the fees charged by those institutions; and
- (e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF EDUCATION

(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE PARTS (a) TO (e) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 169 FOR ANSWER ON 07.08.2024 ASKED BY HON'BLE M.P. SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY REGARDING "FACILITIES PROVIDED BY PRIVATE SCHOOLS AND COLLEGES"

(a) to (c): Education is a subject in the Concurrent List of the Constitution. Schools, other than those owned/funded by the Central Government, are under the jurisdiction of the respective State Governments. Therefore, matters relating to fees charged by private schools and related issues are regulated in terms of Rules and Instructions of the respective State Government concerned. Various States have enacted distinct legislation, regulations, and laws to regulate fee structures in private educational institutions within their respective jurisdictions (Annexure).

Institutions deemed to be Universities are regulated by UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. Regulation 24.B.(2) mandates that these institutions follow rules on fee structure and seat numbers set by relevant statutory bodies. If an institution offers courses under different regulatory bodies like University Grants Commission (UGC), the All India Council of Technical Education (AICTE), National Medical Council (NMC) etc UGC, AICTE, NMC), then the rules and regulations regarding fee structure, number of seats, etc., issued by such statutory body concerned shall be applicable for each course. So far as Private Universities are concerned, Private Universities are established by an Act of concerned State Legislature and are governed by the provisions of their respective Act and norms/rules/regulations made by the respective State Govt., for the purpose including fee related matters.

(d) & (e): As the regulation relating to fees charged by private schools falls under State jurisdiction, the rules/regulations for safeguarding the interests of students and their parents; and taking necessary action against the violating schools comes under the jurisdiction of the respective State Governments. However, under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, every child, of the age of six to fourteen years, has a right to free and compulsory elementary education in a neighbourhood school. Section 12(1) (c) of the RTE Act, 2009 mandates reservation in private unaided schools for children belonging to weaker sections and disadvantaged groups to the extent of at least 25% seats at entry level and provision of free and compulsory elementary education to such children till its completion. Also, Section 13 of the RTE Act, 2009 clearly prohibits the collection of any capitation fee.

ANNEXURE REFERED TO PART (A) TO (C) OF THE REPLY OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 169 ANSWERED ON 07.08.2024 ASKED BY SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY, HON'BLE M.P. REGARDING 'FACILITIES PROVIDED BY PRIVATE SCHOOLS AND COLLEGES'

Legislation/regulations of various States/UTs to regulate fee structures in private educational institutions etc.

- 1. Andhra Pradesh: The Andhra Pradesh School Education Regulatory and Monitoring Commission Act, 2019
- 2. Arunachal Pradesh: The Arunachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2017.
- 3. Assam: The Assam Non-Government Educational Institutions (Regulation of Fees) Act, 2018.
- 4. Bihar: The Bihar Private Schools (Fee Regulation) Act, 2019.
- 5. Chhattisgarh: The Chhattisgarh Non-Government Schools Fee Regulation Act, 2020
- 6. Delhi: Delhi School Education (Amendment) Act, 2015
- 7. Goa: The Goa, Daman and Diu School Education (Amendment) Rules, 2010.
- 8. Gujarat: The Gujarat Self Financed Schools (Regulation of Fees) Act, 2017.
- 9. Himachal Pradesh: The Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010
- 10. Jammu and Kashmir: J&K School Education Act, 2002(Amended)
- 11. Jharkhand: The Jharkhand Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.
- 12. Haryana: The Haryana School Education Rules, 2003; the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2022
- 13. Karnataka: The Karnataka Educational Institutions (Regulation of certain Fees and Donations) (Amendment) Rules, 2018
- 14. Kerala: The Kerala Education Act, 1958 and The Kerala Education Rules, 1959.
- 15. Madhya Pradesh: Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Fees and Related Matters Regulatory) Act, 2007
- 16. Maharashtra: The Maharashtra Educational Institutions (Regulation of Fee) Act, 2011
- 17. Manipur: Right of Children To Fee and Compulsory Education Rules, 2010

- 18. Meghalaya: The Meghalaya School Education Act, 1981.
- 19. Mizoram: Mizoram Recognised Private Schools (Regulation) Rules, 2006.
- 20. Punjab: Punjab Regulation of fee of Un-aided Educational Institutions Act, 2016.
- 21. Odisha: The Odisha Professional Educational Institutions (Regulations of Admission and Fixation of Fee) Amendment Act, 2021
- 22. Puducherry: The Puducherry School Education (Amendment) Rules, 2014
- 23. Rajasthan: Rajasthan Schools (Regulation of Fee) Act, 2016
- 24. Tamil Nadu: The Tamil Nadu Private Schools (Regulation) Act, 2018
- 25. Telangana: The Telangana Educational Institutions (Regulation of Admission and Prohibition of Capitation Fee) Act, 1983
- 26. Uttar Pradesh: Uttar Pradesh Self-Financed Independent Schools (Fee Regulation) Act, 2018
- 27. Uttarakhand: The Uttarakhand Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Amendment) Act, 2018.
- 28. West Bengal: The West Bengal Right of Children To Free and Compulsory Education Rules, 2012.

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग **राज्य सभा**

तारांकित प्रश्न संख्या-169

उत्तर देने की तारीख-07/08/2024

निजी स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

169 श्री विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर शहरों में, कुछ निजी शिक्षण संस्थानों में नर्सरी से स्नातकोत्तर तक की फीस बह्त महंगी है;
- (ख) क्या सरकार निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए शुल्क विनियमन संबंधी कोई कानून लाने और संस्थानों और नागरिकों दोनों के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा और अन्य सुविधाओं और उन संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और
- (इ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ड.) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

निजी स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा दिनांक 07.08.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (इ.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। केन्द्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषित स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए, निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस और संबंधित मुद्दों से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित होते हैं। विभिन्न राज्यों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार (अनुलग्नक) के भीतर निजी शैक्षिक संस्थानों में शुल्क संरचनाओं को विनियमित करने के लिए अलग-अलग विधान, विनियम और कानून बनाए हैं।

सम विश्वविद्यालय संस्थानों को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 द्वारा विनियमित किया जाता है। विनियम 24ख(2) में यह अधिदेशित है कि ये संस्थाएं संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना और सीटों की संख्या संबंधी नियमों का पालन करें। यदि कोई संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) आदि यूजीसी, एआईसीटीई, एनएमसी) जैसे विभिन्न नियामक निकायों के तहत पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तो शुल्क संरचना, सीटों की संख्या आदि से संबंधित यह नियम और विनियम प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए लागू होंगे। जहां तक निजी विश्वविद्यालयों का संबंध है, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा की जाती है और शुल्क संबंधी मामलों सहित इस प्रयोजनार्थ संबंधित अधिनयम के प्रावधानों और संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मानदंडों/नियमों/विनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं।

(घ) और (ङ): चूंकि निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित विनियम राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए छात्रों और उनके माता-पिता के हितों की रक्षा के लिए नियम/विनियम उल्लंघन करने वाले स्कूलों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना; संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों तक आरक्षण और इसके पूरा होने तक ऐसे बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 में किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस (प्रति व्यक्ति शुल्क) की वसूली को स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है।

निजी स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा दिनांक 07.08.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

निजी शिक्षण संस्थाओं आदि में शुल्क अवसंरचना को विनियमित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान/विनियम तैयार किए गए हैं।

- 1. आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा नियामक और निगरानी आयोग अधिनियम, 2019
- 2. अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान (नियामक आयोग) अधिनियम, 2017
- 3. असम: असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (श्ल्क का विनियमन) अधिनियम, 2018
- 4. बिहार: बिहार निजी स्कूल (श्ल्क विनियमन) अधिनियम, 2019
- 5. छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय श्ल्क विनियमन अधिनियम, 2020
- 6. दिल्ली: दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2015
- 7. गोवा: गोवा, दमन और दीव स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2010
- 8. ग्जरात: ग्जरात स्व-वित्तपोषित विद्यालय (श्ल्क का विनियमन) अधिनियम, 2017
- 9. हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान (नियामक आयोग) अधिनियम, 2010
- 10. जम्मू और कश्मीर: जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2002 (संशोधित)
- 11. झारखंड: झारखंड बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011
- 12. हरियाणा: हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003; हरियाणा स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2022
- 13. कर्नाटक: कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (कुछ शुल्क और दान का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2018
- 14. केरल: केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 और केरल शिक्षा नियम, 1959
- 15. मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (शुल्क और संबंधित मामले नियामक) अधिनियम, 2007
- 16. महाराष्ट्र: महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क का विनियमन) अधिनियम, 2011
- 17. मणिपुर: बच्चों को शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010
- 18. मेघालय: मेघालय स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1981
- 19. मिजोरम: मिजोरम मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (विनियमन) नियम, 2006
- 20. पंजाब: पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क का विनियमन अधिनियम, 2016
- 21. ओडिशा: ओडिशा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और शुल्क निर्धारण के विनियम) संशोधन अधिनियम, 2021
- 22. पुड्चेरी: पुड्चेरी स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2014

- 23. राजस्थान: राजस्थान स्कूल (शुल्क का विनियमन) अधिनियम, 2016
- 24. तमिलनाड्: तमिलनाड् निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 2018
- 25. तेलंगाना: तेलंगाना शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1983
- 26. उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018
- 27. उत्तराखंड: उत्तराखंड गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और शुल्क निर्धारण) (संशोधन) अधिनियम, 2018
- 28. पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2012

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Sir, under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, every single child in India of the age of 6 to 14 years has the right to free and compulsory elementary education in the neighbourhood school. इस एक्ट के प्रावधान में भारत का हर बच्चा, जो 6 से 14 साल का है, उसके लिए फ्री और कंप्लसरी एलिमेंटरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। मैं ऑनरेबल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत बच्चे इसमें कवर्ड होते हैं और अगर 100 प्रतिशत कवर्ड नहीं होते हैं, तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं?

श्री जयंत चौधरी: चेयरमैन सर, विक्रमजीत जी का एजुकेशन में बड़ा योगदान है। जब इनके नाम से फी नियंत्रण को लेकर प्रश्न आया, तो मुझे थोड़ी आशंका हुई कि इनके जो आजू-बाजू माननीय सदस्य बैठते हैं, उनसे पूछा है या नहीं। इन्होंने RTE की बात की है और मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि 2009 में यह कानून सदन ने पारित किया है। यह अधिकार दिया है। हमें गरीब बच्चों का ख्याल रखना है, सरकार की यह प्राथमिकता है कि विभिन्न तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका क्रियान्वयन हो। क्योंकि यह एक समावेशी योजना है, जो लोग वंचित रह गए हैं, जो किसी कारण से formal education system से बाहर हो गए हैं, इसमें उनको भी वापस लाने का प्रावधान है। हम समग्र शिक्षा में एक्सेस देना चाहते हैं, universalize करना चाहते हैं। बाल वाटिका में कक्षा 3 से लेकर 12वीं कक्षा तक अलग-अलग स्तर पर काम हो रहा है।

महोदय, इन्होंने RTE के बारे में विशेष रूप से पूछा है। इन्होंने जो डेटा मांगा है कि इसका कितना क्रियान्वयन हुआ, तो मैं उसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा - क्योंकि इनकी सरकार पंजाब में है और अब इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी दल में भी है, इसलिए ये प्रयास करें, राज्य सरकार से प्रयास करें, क्योंकि पंजाब सरकार ने दो टूक मना कर दिया है। आज इनकी सरकार है, इससे पहले सरकार में कांग्रेस भी रही है, सरकार ने दो टूक मना कर दिया है। आरटीई में 25 परसेंट private unaided schools में गरीब बच्चों के लिए जो कोटा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसका प्रावधान नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल्स पर्याप्त हैं। महोदय, मेरा इसके लिए निवेदन होगा।

सभापित महोदय, इसके साथ-साथ और भी राज्य हैं। इसको केरल ने लागू नहीं किया है, तेलंगाना ने लागू नहीं किया और वैस्ट बंगाल ने भी लागू नहीं किया है। मैं आज सदन में अपील करना चाहता हूं, ताकि जो भी लाभार्थी है, जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है, जो अधिकार है, उससे कोई भी वंचित न रहे।

श्री सभापतिः विक्रमजीत सिंह साहनी जी, आप अपना सेकंड सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न 25 परसेंट private unaided schools के लिए नहीं था, मेरा प्रश्न यह था कि 6-14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। सभापति जी, मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा है और आन्सर कुछ और आ रहा है। It is your own onus. चेयरमैन होने के नाते जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका जवाब लीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि 2009 में जो एक अच्छा कानून बना था, उस कानून को लागू करने में बाधा आ रही है, उसका आपने जो प्रश्न पूछा है, उस पर भी असर पड़ रहा है। आप अपना सेकंड सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: सभापति महोदय, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है, हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहना चाह रहा हूं कि मैं ज़ाती तौर पर एजुकेशन पर काम कर रहा हूं, free of charge कर रहा हूं और 1 रुपया भी नहीं लेता हूं।

MR. CHAIRMAN: We appreciate it.

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: सर, जो सैक्शन 12 (1) (सी) है, आप इसको देखिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है - मंत्री जी को भी पता है और मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूं, वह पोलिटिकल नहीं है, I am a non-political person. महोदय, KG से PG तक बच्चो की एजुकेशन पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। आप केजी क्लास को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रि नर्सरी में लाखों रुपये की फीस है।

श्री सभापति : विक्रमजीत सिंह साहनी जी, आप अपना सेकंड सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: सर, मैंने एस्टिमेट लगाया है, 25 से 30 लाख रुपये खर्च होते हैं। इतना खर्च करके आप नर्सरी से पोस्ट ग्रेज्युएट बन गए। उसके बाद जो regulation of fees है, जो private schools हैं, colleges हैं, higher education है।

MR. CHAIRMAN: Your supplementary.

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: सर, क्या आपको पता है कि मेडिकल एजुकेशन में भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए सैंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है, जो मर्जी फीस चल रही है, इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि इस पर आपका क्या जवाब है?

श्री जयंत चोंधरी: सभापित महोदय, मैं इसका लंबा जवाब नहीं दूंगा, जवाब बिल्कुल सीधा है कि एजुकेशन Concurrent List में आती है। राज्यों की इसमें बड़ी भूमिका, भागीदारी और जिम्मदारी है। इस संबंध में कई राज्यों ने फीस निंयत्रण को लेकर प्रयास किए हैं और नीतियाँ भी बनाई हैं। महोदय, जहाँ तक higher education की बात है, मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर यूजीसी और सरकार ने बाकी को डिरेग्युलेट कर दिया है। मैं इससे अलग एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। महोदय, क्योंकि thrust of main question यह है कि हम गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तािक वे शिक्षा की व्यवस्था के जुड़ पाएँ, तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि एक काम यह होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए। इसको राज्यों ने भी बढ़ाया है और पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने भी दोगुना कर दिया है। शिक्षा का जो बजट था, वह 2014 में 68

हजार करोड़ रुपये था, लेकिन अभी आपने बजट में देखा होगा कि यह 1 लाख, 20 हज़ार करोड़ तक पहुँच गया है।

श्री सभापतिः प्रमोद तिवारी जी, आप सप्लीमेंटरी प्रश्न ३ पूछिए।

श्री प्रमोद तिवारी: सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि यह जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपने मुझे इस पर अपना प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। महोदय, यूपीए सरकार Right to Education लेकर आई थी।

MR. CHAIRMAN: I said so.

श्री प्रमोद तिवारी: मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आज तक केंद्र में 10 साल की सरकार चल चुकी है, इसलिए अभी तक गरीबों के कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें उस प्रकार से यह शिक्षा नहीं मिल रही है, जैसा यूपीए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाकर दिया था, Right to Education दिया था? क्या माननीय मंत्री जी वह संख्या बताने की कृपा करेंगे?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, आप इस पर अपना जवाब दे दीजिए।

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): सभापित महोदय, आदरणीय सदस्य ने यूपीए के कार्यकाल की याद दिलाई है। आपने भी उसको रिकग्नाइज किया और आदरणीय मंत्री जी ने पहले प्रश्न में उसकी कुछ स्पष्टता भी रखी। आज के दिनों में क्लास फर्स्ट की एंट्री में लगभग 100 परसेंट इनरोलमेंट है। यह सभी राज्यों का सकल प्रयास है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। यह राज्यों का विषय है। मंत्री जी ने खुद भी कहा कि यह concurrent लिस्ट में है, तो यह राज्यों का ही काम है। स्कूली एजुकेशन मूलत: राज्यों का विषय है। जिस राज्य में जिस प्रकार के प्रयास हैं, यह उस प्रकार से आगे बढ़ा है। मैंने आज फिर मेरे सहयोगी मंत्री जी से अपील की है। राइट टु एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दोनों परिपूरक हैं। इन दोनों के माध्यम से, 70 प्रतिशत बच्चे 12वीं तक पढ़ें, यह सभी का दायित्व बनता है। आरटीई में एक अच्छा प्रोविजन उन दिनों में सोचा गया था कि निजी स्कूल भी 25 प्रतिशत बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके reimbursement की सरकार भी चिंता करेगी। अभी तक जिन-जिन राज्यों के नाम आदरणीय मंत्री जी ने लिए हैं, उन राज्यों को इस सदन के माध्यम से, हम अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग इसमें हाथ लगाएंगे, तो उपलब्धि होगी। एंट्री लेवल में तो यह हो गया है, 12वीं तक होना बाकी है।

MS. SWATI MALIWAL: Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak. सर, आज देश के हालात यह हैं कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो यह हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपनी ही जगह पर दुकानें खोल ली हैं और पैरंट्स को उन दुकानों से किताबें, कॉपी, पैंसिल, यूनिफॉर्म हायर प्राइस पर खरीदने पर मजबूर किया जाता है।

सर, अगल-अगल फंड बना दिए हैं, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है। लूट मचा रखी है। इनके लिए बच्चे एटीएम मशीन जैसे बन गए हैं।

MR. CHAIRMAN: Your supplementary please!

सुश्री स्वाति मालिवाल: मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों, जिससे कि यह मुनाफाखोरी बंद हो? दूसरी बात, ये स्कूल्स पैरंट्स को हायर प्राइस पे करने के लिए फोर्स करते हैं, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं। यह जो हायर प्राइस पर खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, इनके खिलाफ क्या-क्या एक्शन हो सकते हैं और सरकार क्या कर रही है?

MR. CHAIRMAN: As a matter of reply, you have rendered the reply. But be specific now. It is in Concurrent List. State Governments have to think within.

श्री जयंत चौधरी: सर, मैंने पहले भी यह जवाब दिया कि कुछ राज्यों ने प्रयास किया है। दिल्ली में 2015 में दिल्ली स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था, तो माननीय सदस्या ज़रा उसे भी मॉनिटर करें। अगर दिल्ली में किसी प्रकार से स्कूल्स ज्यादा फीस ले रहे हैं, तो दिल्ली सरकार इस पर कदम उठा सकती है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सर, कुछ सरकारी स्कूल्स होते हैं, कुछ निजी मैनेजमेंट के द्वारा संचालित स्कूल्स होते हैं। शायद यह कहना उचित नहीं होगा कि सारे निजी स्कूल्स profiteering के लिए काम करते हैं। इस देश में अनेक सामाजिक संगठन हैं, अनेक गुरुद्वारे हैं, अनेक चेरिटेबल ट्रस्ट्स हैं, विद्या भारती जैसी संस्था हैं, श्री अरबिंदो की दुनिया है, रामाकृष्ण मिशन की दुनिया है, ये सारे स्कूल्स भी अच्छे काम करते हैं। हालांकि, यह बात सही है कि कुछ profiteering वाले लोग स्कूली एजुकेशन में आए हैं। इसे राज्यों को संभालने की आवश्यकता है। राज्य इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। भारत सरकार उनके साथ रहेगी।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.5; Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the biggest paradox is that Kerala gets sermons from Delhi with regard to education. The supplementary question is this. Hon. Minister knows it very well that the aided schools in Kerala are as good as Government schools.

MR. CHAIRMAN: Is it a supplementary?

DR. JOHN BRITTAS: In this context, will the Minister consider including the aided schools of Kerala under Samagra Shiksha?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, definition of aided schools varies from State to

State. Somewhere it is privately managed institutions; some form of Government aid

is given. It is known as aided school. In some States, schools are totally run by

Government but somehow, the nomenclature is aided. So, there is no uniformity.

1.00 P.M.

Now, the Government of India is trying to create uniformity and determine which are

the Government schools and which the private schools are. Now, this is a separate

question. If hon. Member from Kerala wants specific information, we can share with

him.

MR. CHAIRMAN: Now, Q.No.170.

44